

प्रारंभिक परीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS)

संदर्भ

भारत ने 2025-2028 के लिए IIAS की अध्यक्षता जीती।

IIAS के बारे में -

- **स्थापना:** 1930 में स्थापित।
- **मुख्यालय:** ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
- **उद्देश्य:** वैश्विक स्तर पर लोक प्रशासन में वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देना।
- **सदस्यता:**
 - 31 सदस्य देश (भारत, जापान, चीन, जर्मनी आदि सहित)।
 - 20 राष्ट्रीय अनुभाग।
 - 15 शैक्षणिक अनुसंधान केन्द्र।
- **भारत जुड़ाव:**
 - **1998 से सदस्य हैं।**
 - प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

हालिया संदर्भ (2025-2028 कार्यकाल) -

- भारत ने 2025-2028 के लिए IIAS की अध्यक्षता जीती।
- **उम्मीदवार:** वी. श्रीनिवास (सचिव, डीएआरपीजी), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित।
- **चुनाव प्रक्रिया:**
 - 3 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
 - ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका और बहरीन के साथ प्रतिस्पर्धा; भारत ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ अंतिम दौर में जीत हासिल की।

स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

उम्मीद पोर्टल(UMEED Portal)

संदर्भ

AIMPLB ने उम्मीद पोर्टल की आलोचना करते हुए इसे "अदालत की अवमानना" बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वक्फ अधिनियम संशोधनों पर फैसला नहीं सुनाया है।

इसके बारे में -

- पूरा नाम: **UMEED-यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट पोर्टल।**
- लक्ष्य: पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन को डिजिटल बनाना।
- लॉन्च किया गया: केंद्र सरकार (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय) द्वारा।
- उद्देश्य:
 - वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना।
 - अतिक्रमण एवं अवैध बिक्री को रोकना।
 - वक्फ भूमि (भारत में अनुमानतः 8 लाख से अधिक संपत्तियां) के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना।

वक्फ अधिनियम, 2025 संशोधन -

- **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025** केंद्रीय वक्फ परिषद को पर्यवेक्षण के लिए अधिक शक्तियां देने का प्रयास करता है।
- **विवाद:**
 - ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) सहित मुस्लिम निकाय इसका विरोध कर रहे हैं और इसे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप बता रहे हैं।
 - संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT)

संदर्भ

NCLAT ने NCLT (अहमदाबाद) द्वारा संपत्ति फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड को राहत देने से इनकार कर दिया।

NCLAT के बारे में -

- **स्थापना:**
 - यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत गठित।
 - 1 जून 2016 को कार्यशील हुआ।
- **उद्देश्य:**
 - निम्नलिखित के आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण:
 - राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) - [कंपनी कानून विवादों का निपटारा करता है (मूल अधिकार क्षेत्र)]
 - भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI)।
 - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)।
- **संघटन:**
 - **अध्यक्ष:** सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
 - **सदस्य:** न्यायिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ।
- **क्षेत्राधिकार:**
 - कंपनी कानून, दिवालियापन और प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित मामलों का न्यायनिर्णयन।
 - दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 के तहत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण।

जेनसोल इंजीनियरिंग केस -

- **मुद्दा:** NCLAT ने NCLT(अहमदाबाद) द्वारा संपत्ति फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड को राहत देने से इनकार कर दिया।
- **शामिल संस्थाएं:**
 - मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड.
 - ब्लू स्मार्ट फ्लीट प्राइवेट लिमिटेड (जेनसोल से जुड़ा हुआ)।
- **मुख्य अवलोकन:** NCLAT ने मामले को पुनर्विचार के लिए NCLT को वापस भेज दिया।

स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

G-7 शिखर सम्मेलन

संदर्भ

भारत को अभी तक 15-17 जून, 2025 को कनानैस्किस, अल्बर्टा (कनाडा) में होने वाले **G-7** शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण नहीं मिला है।

G-7 के बारे में -

- पूरा नाम: ग्रुप ऑफ़ सेवन (G7)।
- सदस्य:
 - कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका (7 राष्ट्र)।
 - यूरोपीय संघ (EU) एक गैर-गणनीय सदस्य(non-enumerated member) के रूप में भाग लेता है।
- प्रकार: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का अनौपचारिक मंच (कोई स्थायी सचिवालय नहीं)।
- उत्पत्ति: 1975 में G-6 के रूप में गठित (कनाडा 1976 में शामिल हुआ → G-7)।
- उद्देश्य: अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु और प्रौद्योगिकी जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना।

2024 के शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं -

- मेजबान: इटली (पुगलिया क्षेत्र, 13-15 जून 2024)।
- मुख्य एजेंडा:
 - यूक्रेन युद्ध: रूस पर सैन्य सहायता और प्रतिबंध।
 - चीन की व्यापार प्रथाएँ: "बाज़ार विकृतियों" को संबोधित करना।
 - एआई विनियमन: नैतिक एआई विकास को बढ़ावा देना।
 - वैश्विक दक्षिण पहुंच: अफ्रीका और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।
- भारत की भूमिका:
 - अतिथि देश के रूप में आमंत्रित (यूएई, तुर्की, अन्य के साथ)।
 - प्रमुख मुद्दे: जलवायु वित्त, बहुपक्षीय सुधार।
- विवाद (भारत-कनाडा तनाव)
 - कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया (2023)।
 - भारत की प्रतिक्रिया: आरोपों से इनकार; राजनयिक संबंध तनावपूर्ण।
 - G-7 प्रभाव: कनाडा ने भारत को बाहर करने पर जोर दिया, लेकिन इटली ने भारत को भागीदार के रूप में आमंत्रित किया।

स्रोत: [IndianExpress](https://www.indianexpress.com)

प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान वाहन (PRV)

संदर्भ

भारत, नॉर्वे के सहयोग से गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा पहली बार स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान वाहन (PRV) का डिजाइन और निर्माण करेगा।

ध्रुवीय अनुसंधान वाहन (PRV) क्या है?

- ध्रुवीय अनुसंधान वाहन (PRV) एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया जहाज है, जिसे चरम ध्रुवीय वातावरणों - आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए बनाया गया है।
- इन जहाजों को निम्नलिखित के लिए डिज़ाइन किया गया है:
 - समुद्री बर्फ में नेविगेट करना और कठोर ध्रुवीय परिस्थितियों का सामना करना।
 - उन्नत प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित एक मोबाइल अनुसंधान मंच के रूप में कार्य करना।
 - ग्लेसिओलॉजी, समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान और जलवायु विज्ञान जैसे बहु-विषयक अध्ययनों को सक्षम बनाना।

भारत के लिए नए PRV का महत्व -

- यह भारत के जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है और 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ संरेखित करता है।
- एक समर्पित PRV भारत को इन स्टेशनों तक आत्मनिर्भर पहुंच प्रदान करता है, जिससे चार्टर्ड विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम हो जाती है।
- ध्रुवीय क्षेत्र जलवायु के प्रति संवेदनशील हॉटस्पॉट हैं। PRV निम्नलिखित में मदद करेगा:
 - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी करना
 - ध्रुवीय जैवविविधता और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना
 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान और वैश्विक जलवायु मॉडल को बढ़ावा देना
- यह आर्कटिक और अंटार्कटिक शासन में भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक हितधारक के रूप में स्थापित करता है।
- सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और महासागर (क्षेत्र भर में सुरक्षा के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) के तहत भारत के समुद्री और जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश, नवाचार और रोजगार को उत्प्रेरित करेगा।

तथ्य -

- वर्तमान जहाज: एम.वी. वासिली गोलोविन (अंटार्कटिका मिशन के लिए रूस से किराए पर लिया गया)।
- भारत ध्रुवीय क्षेत्रों में तीन अनुसंधान केंद्र संचालित करता है:
 - भारती और मैत्री अंटार्कटिका में
 - हिमाद्री आर्कटिक में

स्रोत: [IndianExpress](https://www.indianexpress.com)

समाचार में स्थान

बुल्गारिया



समाचार? यूरोपीय परिषद ने औपचारिक रूप से बुल्गारिया के यूरोज़ोन में प्रवेश को मंजूरी दे दी है, जो एकल मुद्रा ब्लॉक में शामिल होने वाला 21वां देश है।

इसके बारे में -

- **स्थान:** दक्षिण-पूर्वी यूरोप (बाल्कन प्रायद्वीप)।
- **राजधानी:** सोफिया
- **यूरोपीय संघ की सदस्यता:** 2007 में यूरोपीय संघ (EU) में शामिल हुआ।
- **मुद्रा:** वर्तमान में **बल्गेरियाई लेव** (BGN) का उपयोग किया जाता है; 1 जनवरी 2026 को यूरो (€) को अपनाने की योजना है।
- **महत्व:**
 - **यूरोज़ोन** (यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाले यूरोपीय संघ के देशों का समूह) का **21वां** सदस्य बन जाएगा।
 - **क्रोएशिया (2023)** के बाद यूरोज़ोन में शामिल होने वाला पहला देश।

स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

संपादकीय सारांश

बेहतर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक्सपोज़िचर्स

संदर्भ

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित है। भारत में, तेजी से विकास के कारण पर्यावरणीय जोखिम बढ़ रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय रोग के बोझ को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए एक्सपोज़िचर्स जैसी एकीकृत स्वास्थ्य रणनीतियों की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय रोग बोझ -

- **वैश्विक मृत्यु दर में प्रमुख योगदानकर्ता:** 2021 में, पर्यावरणीय और व्यावसायिक जोखिमों के कारण 12.8 मिलियन वैश्विक मौतें (18.9%) हुईं और सभी DALYs (Disability-Adjusted Life Year) का 14.4% हिस्सा था।
- **विश्व स्तर पर प्रमुख जोखिम कारक:**
 - परिवेशी PM2.5 वायु प्रदूषण: 4.7 मिलियन मौतें
 - घरेलू वायु प्रदूषण (ठोस ईंधन): 3.1 मिलियन मौतें
- **भारत का उच्च बोझ:** OEH जोखिमों के कारण भारत में लगभग 3 मिलियन मौतें और 100 मिलियन DALYs।
 - हृदय रोग, मधुमेह और फेफड़े संबंधी विकारों जैसे गैर-संचारी रोगों के बोझ में 50% से अधिक का योगदान है।
 - अकेले सीसे के संपर्क के कारण ही विश्वभर में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 154 मिलियन IQ अंकों की हानि हुई, जिसमें भारत का योगदान 20% है।
- **वर्तमान अनुमानों में अंतराल:** इसमें केवल 11 श्रेणियों के जोखिम शामिल हैं।
 - माइक्रोप्लास्टिक, रासायनिक मिश्रण, शोर और जलवायु परिवर्तन प्रभाव जैसे उभरते खतरे शामिल नहीं हैं।
 - जीवन भर में अनेक जोखिम कारकों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं को पकड़ने में विफल रहता है।

- भारत विश्व स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक ढांचे का अनुसरण करता है, मुख्य रूप से वैश्विक रोग बोझ (GBD) पद्धति - जिसे 2000 में डब्ल्यूएचओ द्वारा अपने रोग भार का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया गया था।

GBD पद्धति

- यह स्वास्थ्य मीट्रिक्स एवं मूल्यांकन संस्थान (आईएचएमई) के नेतृत्व में एक व्यापक विश्वव्यापी अनुसंधान कार्यक्रम है जो व्यवस्थित रूप से मापता है:
 - प्रमुख बीमारियों, चोटों और जोखिम कारकों से होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता।
 - आयु समूह, लिंग, देश और समय के पार।

प्रमुख विशेषताएँ

- DALY (दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्ष) = YLL (खोये हुए जीवन वर्ष) + YLD (दिव्यांगता के साथ जीए गए वर्ष)
- विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु और दिव्यांगता के शीर्ष कारणों की पहचान करना।
- सरकारों और संगठनों को स्वास्थ्य नीतियों और हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने में सहायता करता है।

एक्सपोजोमिक्स किस प्रकार पर्यावरणीय रोग बोझ का समाधान है -

- **आजीवन और संचयी एक्सपोजर को कैप्चर करता है:**
पारंपरिक अध्ययन एकल या सीमित एक्सपोजर पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
 - **एक्सपोजोमिक्स(Exposomics) सम्पूर्ण जीवनकाल में सभी रासायनिक, भौतिक, जैविक और मनोसामाजिक जोखिमों का मानचित्रण करता है, तथा अधिक सम्पूर्ण स्वास्थ्य जोखिम प्रोफ़ाइल प्रस्तुत करता है।**
- **जटिल अंतःक्रियाओं का पता चलता है:** कई पर्यावरणीय कारक सहक्रियात्मक रूप से कार्य करते हैं (जैसे, वायु प्रदूषण + खराब आहार + तनाव),
 - एक्सपोजोमिक्स यह पता लगाने में मदद करता है कि ये जोखिम किस प्रकार आनुवांशिकी, जीवनशैली और चयापचय के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिससे अस्थमा, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियां होती हैं।
- **सटीक रोकथाम में सक्षम बनाता है:** व्यक्तिगत जोखिम संकेतों की पहचान करके, यह विशेष रूप से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और रोग की प्रारंभिक भविष्यवाणी की अनुमति देता है।
- **उभरते खतरों को शामिल किया गया:** वर्तमान वैश्विक रोग बोझ (GBD) अनुमान में माइक्रोप्लास्टिक्स, अंतःस्रावी विघटनकारी, ध्वनि प्रदूषण आदि को शामिल नहीं किया गया है।
 - एक्सपोजोमिक्स में वास्तविक जोखिमों का बेहतर अनुमान लगाने के लिए नवीन और संयुक्त एक्सपोजर शामिल हैं।
- **निगरानी में नवाचार को बढ़ावा:** वास्तविक समय के जोखिम की निगरानी के लिए पहनने योग्य उपकरणों, बायोसेंसर्स और एआई-आधारित डेटा एकीकरण का उपयोग करता है।
 - नीति निर्माण के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली बनाने में सहायता करता है।
- **डेटा-संचालित नीति को बढ़ावा देता है:** उच्च-रिज़ॉल्यूशन एक्सपोजर डेटा उत्पन्न करता है जो साक्ष्य-आधारित पर्यावरणीय नियमों, शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों का समर्थन करता है।

एक्सपोजोम(Exposome) क्या है?
एक्सपोजोम से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा जीवन भर अनुभव किए जाने वाले कुल पर्यावरणीय जोखिमों से है, जिसमें रासायनिक, भौतिक, जैविक, मनोसामाजिक और आहार संबंधी कारक तथा आंतरिक जीव विज्ञान (जीन, चयापचय, एपिजेनेटिक्स) के साथ उनकी अंतःक्रियाएं शामिल हैं, जो रोग के विकास को प्रभावित करती हैं।

स्रोत: [The Hindu](https://www.thehindu.com)

प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग

संदर्भ

भारत की जनजातीय और ग्रामीण खाद्य प्रणालियों में अपार अप्रयुक्त जैव विविधता है, जो पोषण और पारिस्थितिक मूल्य प्रदान करती है। हालाँकि, कृषि जैव विविधता तेजी से घट रही है, जिससे सांस्कृतिक ज्ञान की हानि, स्वास्थ्य परिणाम और खाद्य सुरक्षा को खतरा है।

भारत की जैव विविधता -

- विश्व में सर्वाधिक जैवविविधता संपन्न देशों में से एक है।
- विश्व के मात्र 2.4% भू-क्षेत्र पर विस्तृत होने के बावजूद, वैश्विक जैव विविधता में इसकी हिस्सेदारी लगभग 8% है, जो इसे एक महाविविधता वाला देश बनाता है।
- वैश्विक स्थिति:
 - 17 महाविविधता वाले देशों में से एक: बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियों के आवास के लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त।
 - चार जैव विविधता हॉटस्पॉट - हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड (निकोबार द्वीप समूह शामिल)
- प्रजातियों की समृद्धि: 47,000 से अधिक पादप प्रजातियाँ और 100,000 से अधिक पशु प्रजातियाँ दर्ज की गईं।
 - स्थानिकता का उच्च स्तर: पुष्पीय पौधों, सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों की कई प्रजातियाँ केवल भारत में ही पाई जाती हैं।
- कृषि जैव विविधता: आठ में से एक खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के वैश्विक केंद्र।
 - देशी फसल किस्मों से समृद्ध, जिसमें बाजरा, दालें, तिलहन, फलियाँ और औषधीय पौधे शामिल हैं।
- पारिस्थितिकी तंत्र विविधता: भारत की जैव विविधता फैली हुई है - वन (उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, मैंग्रोव), घास के मैदान और रेगिस्तान, आर्द्रभूमि और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, ग्लेशियर और नदी प्रणालियाँ।

कृषि जैव विविधता एवं उपेक्षित फसलों का महत्व -

- पोषण सुरक्षा:** बाजरा, फलियाँ और कंद जैसी देशी फसलें सूक्ष्म पोषक तत्वों, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती हैं, जो कुपोषण और बढ़ती गैर-संचारी बीमारियों की समस्या का समाधान करती हैं।
- जलवायु लचीलापन:** कई उपेक्षित फसलें सूखा-प्रतिरोधी हैं और स्थानीय कृषि-पारिस्थितिकी के अनुकूल हैं, जो जलवायु झटकों के प्रति लचीलापन प्रदान करती हैं।
- सांस्कृतिक पहचान:** पारंपरिक खाद्य प्रथाएं पाक विरासत, जनजातीय ज्ञान और पारिस्थितिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करती हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं।
- आजीविका सुरक्षा:** स्थानीय फसलों को पुनर्जीवित करने से मूल्य संवर्धन, स्थानीय प्रसंस्करण और विशिष्ट बाजारों के माध्यम से ग्रामीण आय में वृद्धि होती है।
- पारिस्थितिक स्थिरता:** विविध फसल प्रणालियाँ मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं, रासायनिक निर्भरता को कम करती हैं, और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करती हैं।

मुख्य चिंताएं क्या हैं?

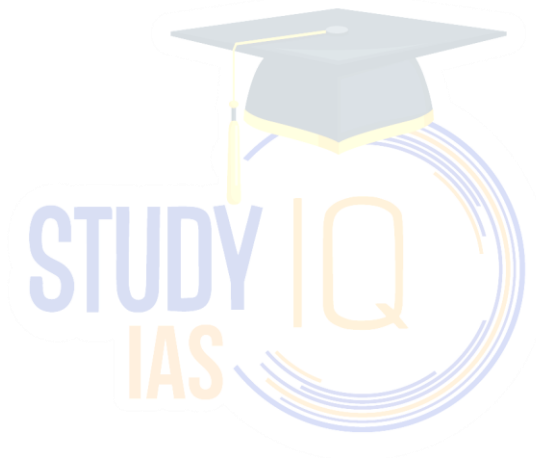
- कृषि जैव विविधता में तेजी से कमी:** नकदी फसलों और एकल कृषि की ओर रुझान के कारण देशी फसलों की किस्मों और पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आ रही है।
- पारंपरिक ज्ञान का क्षरण:** आधुनिकीकरण और दस्तावेजीकरण की कमी के कारण जनजातीय समुदायों के बीच औषधीय और पोषण संबंधी ज्ञान लुप्त हो रहा है।
- नीति एवं बाजार अंतराल:** अनाथ फसलें मुख्यधारा की नीतिगत सहायता, सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से बाहर रहती हैं।

- **पोषण असमानता:** एक विशाल विविधता वाला देश होने के बावजूद, भारत कुपोषण, मोटापे और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के उच्च स्तर का सामना कर रहा है।
- **गौण बाजरा की उपेक्षा:** जबकि मुख्य बाजरा (रागी, ज्वार, बाजरा) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, गौण बाजरा को अभी भी बाजरा मिशन में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।

आगे की राह -

- लोगों के जैव विविधता रजिस्टर (PBR) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) को मजबूत करना।
- शिक्षा, कृषि और आर्थिक नियोजन में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना।
- समुदाय के नेतृत्व में संरक्षण और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को प्रोत्साहित करना।
- जैव विविधता विज्ञान और जैव-अर्थव्यवस्था में भारत की ताकत का लाभ उठाकर "बायोहैप्पीनेस" (प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा दिया गया शब्द) उत्पन्न करना।
- मोटा अनाज मिशन का विस्तार करना और पीडीएस, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन में छोटे बाजरा और फलियां शामिल करना।
- स्थानीय समुदायों (जैसे एमएसएसआरएफ मॉडल) के सहयोग से सहभागी, कृषि संबंधी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- किसानों की आय में सुधार के लिए स्वदेशी फसलों के लिए प्रसंस्करण इकाइयों, ब्रांडिंग और बाजार संपर्क में निवेश करना।

स्रोत: [The Hindu: Aiming for an era of 'biohappiness' in India](#)



क्या भारत में पर्यावरण संकट बढ़ गया है?

संदर्भ

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) बिगड़ते पारिस्थितिकी मुद्दों पर चिंतन करने का आग्रह करता है। पिछले दशक में, वैश्विक और भारतीय पर्यावरण संकट - कार्बन उत्सर्जन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण - बढ़ती जागरूकता के बावजूद बढ़ते गए हैं।

भारत में पर्यावरण संकट क्या हैं?

- **बढ़ता कार्बन उत्सर्जन:** भारत का CO₂ उत्सर्जन 2.33 बिलियन टन (2015) से बढ़कर 3.12 बिलियन टन (2024) हो गया।
 - कोयले से अभी भी लगभग 70% बिजली का उत्पादन होता है।
- **गंभीर वायु प्रदूषण:** भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है।
 - दिल्ली लगातार वैश्विक वायु प्रदूषण चार्ट में शीर्ष पर है।
- **जैव विविधता की हानि:** वनों की कटाई, आर्द्रभूमि की हानि, तथा एकल कृषि से भारत की महाविविधतापूर्ण राष्ट्र की स्थिति को खतरा है।
 - आवास विखंडन से प्रजातियों का विलुप्त होना तेज़ हो रहा है।
- **जल एवं मृदा प्रदूषण:** गंगा और यमुना जैसी नदियाँ औद्योगिक अपशिष्टों और सीवेज से अत्यधिक प्रदूषित हैं।
 - रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है।
- **अपशिष्ट कुप्रबंधन:** भारत में प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है; केवल 20% का ही वैज्ञानिक उपचार किया जाता है।
- **जलवायु चरम:** हीटवेव, अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे की बढ़ती आवृत्ति सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों को बढ़ाती है।

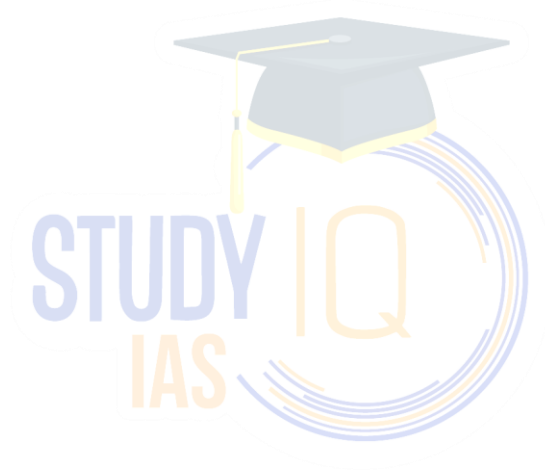
पर्यावरण संकट के मूल कारण -

- **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता:** कोयला, तेल और गैस ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों पर हावी हैं।
- **वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन:** बुनियादी ढांचे और खनन के लिए वनों की मंजूरी से पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों को खतरा है।
- **असंवहनीय कृषि:** उच्च इनपुट, एकल कृषि खेती से आवास विनाश और रासायनिक प्रदूषण होता है।
- **शहरीकरण और अपशिष्ट:** तीव्र, अनियमित शहरी विकास के परिणामस्वरूप अनुपचारित सीवेज, प्लास्टिक का संचय और लैंडफिल साइटों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
- **औद्योगीकरण और अति उपभोग:** विकसित देशों में उच्च उपभोग पैटर्न के कारण भारत जैसे विकासशील देशों पर पर्यावरणीय लागत बढ़ जाती है।

समाधान और आगे की राह -

- **वैश्विक उत्तर की जिम्मेदारी:** अमीर देशों को उत्सर्जन में कटौती करनी होगी, जलवायु लचीलेपन के लिए धन जुटाना होगा, तथा वैश्विक दक्षिण को कार्बन आउटसोर्सिंग में कमी लानी होगी।
- **कॉर्पोरेट जवाबदेही:** हरित अनुपालन, कार्बन कर लागू करना तथा प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित करना।
- **सतत विकास पथ:** निम्न-कार्बन नौकरियों, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था मॉडल और हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।
- **पारिस्थितिक कृषि:** जैव विविधता आधारित कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहित करें और कृषि रसायनों पर निर्भरता कम करना।
- **समुदाय-नेतृत्व संरक्षण:** वनों, जल निकायों और जैव विविधता की रक्षा करने में स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना।

- **नीति एकीकरण:** व्यापार, निवेश और औद्योगिक नियोजन में पारिस्थितिक मानदंड को शामिल करना।
स्रोत: [The Hindu](#)



न्यायाधीशों का राजनीति में शामिल होना

संदर्भ

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि न्यायाधीशों द्वारा "सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद" सरकारी नियुक्तियां लेना या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना "महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा करता है और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करता है"।

राजनीति में प्रवेश करने वाले न्यायाधीशों के उदाहरण -

- **न्यायमूर्ति फजल अली (1952):** सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किये गये।
- **न्यायमूर्ति एम.सी. छागला (1958):** बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देकर अमेरिका में राजदूत बने
- **न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव (1967):** राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया।
- **न्यायमूर्ति बहारुल इस्लाम (1983):** लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया।
- **टीएन चतुर्वेदी (2002):** सीएजी के रूप में कार्य करने के बाद कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त किये गये।
- **एमएस गिल (2004):** पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया और केंद्रीय मंत्री बनाया गया।
- **रंजन गोगोई (2020):** मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति के चार महीने के भीतर राज्यसभा के लिए नामित किए गए।

सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों पर संवैधानिक प्रतिबंध -

- **अनुच्छेद-124(7):** सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने से रोक दिया गया है।
- **अनुच्छेद-220:** सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते।
- **अनुच्छेद-148(4):** नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी भविष्य के कार्यालय के लिए अपात्र है।
- **अनुच्छेद 319:** यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को पद छोड़ने के बाद कोई अन्य सरकारी नौकरी लेने से रोक दिया गया है।

न्यायाधीशों के राजनीति में शामिल होने से जुड़ी चिंताएं -

- **शपथ का उल्लंघन:** संवैधानिक पदाधिकारी बिना किसी भय या पक्षपात के कार्य करने की शपथ लेते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक संबद्धता सेवा के दौरान उनकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करती है।
- **संस्थागत स्वतंत्रता को खतरा:** भविष्य में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्णयों या फैसलों को प्रभावित किए जाने का जोखिम संवैधानिक कार्यालयों की अखंडता को कमजोर करता है।
- **असंगत कूलिंग-ऑफ अवधि मानदंड:** सिविल सेवा नियमों में निजी नौकरियों में शामिल होने से पहले कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य है, लेकिन राजनीतिक भूमिकाओं के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है।
- **बैंगलोर सिद्धांतों का उल्लंघन (2002):** जब न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो निष्पक्षता, अखंडता और औचित्य जैसे मूल्यों से समझौता हो जाता है।
- **सार्वजनिक विश्वास की हानि:** न्यायिक निर्णय (जैसे, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ, 1991) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार सेवानिवृत्ति के बाद की भूमिकाओं से संवैधानिक प्राधिकारियों में जनता के विश्वास में कमी आ सकती है।

सिफारिशें और न्यायिक राय -

- **चुनाव आयोग (2012):** नौकरशाहों के राजनीति में प्रवेश से पहले सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि का सुझाव दिया गया।
- **अटॉर्नी जनरल का दृष्टिकोण:** हितों के टकराव के कारण निजी नौकरियों के लिए कूलिंग-ऑफ का समर्थन किया, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला देते हुए राजनीतिक प्रवेश पर प्रतिबंध का विरोध किया।
- **सर्वोच्च न्यायालय (2022):** कूलिंग-ऑफ अवधि लागू करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक विधायी मामला है।

आगे की राह -

- **कूलिंग-ऑफ अवधि के लिए कानून बनाना:** संसद को एक कानून बनाना चाहिए जिसके तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए राजनीतिक भूमिकाएं ग्रहण करने से पहले न्यूनतम दो वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य की जाए।
- **न्यायिक सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना:** सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 70 वर्ष करने से सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहन कम हो सकता है।
- **मानदंड-आधारित न्यायाधिकरण नियुक्तियाँ:** नियुक्तियों में निपटाए गए मामलों की प्रकृति, न्यायिक अनुभव और डोमेन विशेषज्ञता जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- **स्व-नियमन को बढ़ावा देना:** उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा नैतिक संयम, जैसा कि न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, कुरियन जोसेफ तथा पूर्व मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया, लोढ़ा और ठाकुर ने उदाहरण दिया है, आदर्श होना चाहिए।

स्रोत: [Indian Express](https://www.indianexpress.com)

